नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2022 में
राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों तथा
शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मियों हेतु

आदर्श आचार संहिता

राज्य निर्वाचन आयोग
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश

भारत के संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप नगरीय निकायों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया है, बल्कि पाँच वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिए गए हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक के अनुसार नगरीय निकायों के निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्दे"ान एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। नगरीय निकाय निर्वाचनों को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता की संरचना करते हुए उसे प्रभावी रूप से लागू कर चुनाव सम्पन्न कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अतः संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य की नगरीय निकायों के निर्वाचन सम्पादित कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता तैयार की गई है जो नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2022 के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों आदि पर लागू होगी।

आदर्श आचार संहिता के प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों में है। इनका उल्लंघन उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय है।

संविधान के अनुच्छेद 243 यक, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के समय से स्वतः लागू होगी और निर्वाचन प्रक्रिया क समाप्त होने तक समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू रहेगी।

1. सामान्य आचार संहिता

(1) सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः—

(क) ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म (मज़हब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।

(ख) किसी भी राजनीतिक दल/उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी।

(ग) मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा।

(घ) पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा।

(ङ) सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण/अपराध माने गए हैं, जैसेः–

i. किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना,

ii. मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना,

iii. मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी पकार का मादक द्रव्य बाँटना।

2. चुनाव प्रचार

सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) किसी अन्य राजनीतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलान अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे, न ही इसका समर्थन करेंगे।

(ख) निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे।

(ग) किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा।

(घ) चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झंडा लगाने/झंडियाँ टाँगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेण्ट को ऐसा करने देंगे।

(ङ) किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे।

(च) अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाए गए झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियमसंगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे।

(छ) चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के पयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे।

(ज) चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नहीं स्थापित किए जाएंगे।

(झ) टी.वी. चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे।

(ट) कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकापी भी सम्मिलित होगी।

(ठ) किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा 171–एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

3. सभाएं एवं जुलूस

सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान सभा एवं जुलूस के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) सभा/रैली/जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे।

(ख) किसी अन्य राजनीतिक दल/उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे।

(ग) सभा/रैली/जूलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।

(घ) जुलूसों और सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे/लाठी–डण्डे/ईंट–पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे।

(ङ) सभा/रैली/जूलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। रात के 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जायगा।

(च) मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टी0वी0/केबिल

चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा।

4. मतदान दिवस पर राजनीतिक दल/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता से अपेक्षा

मतदान के दिन सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे।

(ख) फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे, न ही मदद करेंगे।

(ग) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएंगे।

(घ) वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे।

(ङ) मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, न ही वोट माँगेंगे।

(च) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे।

(छ) मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे।

(ज) आपराधिक दुराचरण से ई0वी0एम0 को क्षति पहुँचाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य नहीं करेंगे।

(झ) मतदाताओं को पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर दी जाएंगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा।

(ट) मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे। उस पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई पचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न ही खाद्य पदार्थ दिये जाएंगे।

(ठ) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/प्रेक्षक/निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/मतदान कार्मिक/प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान

अभिकर्ता/मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।

(ङ) मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छाड़ देगा। इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जनपद का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जनपद को छोड़ देगा।

(ढ) सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा।

5. सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण या व्यवहार

सत्ताधारी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) किसी भी सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्रामगृह का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यालय के लिए नहीं करेंगे।

(ख) निर्वाचन के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेंगे और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारियों का उपयोग करेंगे।

(ग) निर्वाचन अवधि में सरकारी खजाने से किसी अखबार या मीडिया में नगरीय निकायों से सम्बन्धित किसी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे।

(घ) निर्वाचन अवधि में नगरीय निकायों से सम्बन्धित शासकीय/अद्धशासकीय विभाग/संस्था/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा किसी भी नवीन योजना/परियोजना/कार्य/कार्यक्रम की घोषणा अथवा प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई भी वित्तोय स्वीकृति अथवा धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी। चालू परियोजना/कार्यों में जो कार्य चालू हैं और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, वे कार्य यथावत् चलते रहेंगे। चालू परियोजना/कार्य में कोई नयी वित्तोय स्वीकृति नहीं दी जाएगी। दैवीय आपदा एवं मानवजनित दुर्घटना में दी जाने वाली सहायता राशि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(ङ) भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे।

6. शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए

सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी निम्नलिखित आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/नियुक्ति/प्रोन्नति पर पूर्ण

प्रतिबन्ध रहेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त स्थानान्तरण/नियुक्ति/प्रोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही की जा सकेगी।

(ख) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी से प्रभावित हुए निष्पक्ष होकर करेंगे।

(ग) कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी/कर्मचारी किसी भी सभा या आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे।

(घ) सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे।

(ङ) किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

मनोज कुमार
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।